न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :– 246/2006 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– हुरमत बनाम बदलूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
19.02.2018	पत्रावली रेस्पो0 बदलूराम द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सी0 पी0 सी0 पर आदेशार्थ पेश हुई । अपने उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी रेस्पो0 के विद्वान वकील ने बहस करते हुये बताया कि मैंने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे श 22 नियम 10 ए सी0 पी0 सी0 के माध्यम से दिनांक 6.11.2007 को रेस्पो0 संख्या 02 हरिसिंह की मृत्यु की जानकारी दे दी थी, परन्तु अपीलांट ने अभी तक मृतक हरिसिंह के वारिसान को अपील में अभी तक रेकार्ड पर नहीं लिया गया है । कानूनन 90 दिन के अन्दर अन्दर मृतक के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेना होता है । परन्तु अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अबेट की जावे । विद्वान वकील प्रार्थी रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में ए0 आई0 आर0 2010 एस0सी0 पेज 3043 का हवाला दिया । विद्वान वकील अप्रार्थी अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी के हम हाल राजस्व रिकार्ड में खातेदार है, परन्तु रेस्पो0 ने साजबाज होकर राज्य सरकार को पक्षकार बनाकर दावा प्रस्तुत कर दिया । चूंकि हम वाद पत्र में पक्षकार नहीं थे, इसलिये धारा 96 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जावे । उन्होंने अपने दफा 5 मियाद अधिनयम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुये बताया कि चूंकि हम तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, इसलिये अपीलाधनी निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि प्रार्थी रेस्पो0 बदलूराम ने रेस्पो0 हरिसिंह के देहान्त की सूचना न्यायालय को दे दी हो, परन्तु हमारी जानकारी में यह तथ्य नहीं आया । अतः निवेदन है कि प्रार्थी रेस्पो0 बदलूराम का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे और मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का हमको अवसर प्रदान किया जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र पर गौर किया । चूंकि अपीलांट हाल राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि के खातेदार है । इसलिये वह प्रभावित पक्षकार है । प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपीलांट का धारा 96 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाती है ।

इसके पश्चात धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में लिबरल व्यू अपनाया जाकर देरी को कंडोन किया जाता है और अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

इसके पश्चात प्रार्थी रेस्पो0 बदलूराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 22 नियम 9 सी0 पी0 सी0 पर गौर किया । प्रार्थी अपने रेस्पो0 संख्या 02 हरिसिंह की मृत्यु की जानकारी दिनांक 6.11.2007 को ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 ए के माध्यम से प्रार्थी रेस्पो0 बदलूराम ने दे दी थी, परन्तु आदिनांक तक भी अपीलांट ने मृतक हरिसिंह के वारिसान को अपील में रिकार्ड में लेने की कार्यवाही नहीं की । कानूनन मृतक के वारिसान को 90 दिन के अन्दर रिकार्ड पर लेना होता है । अपीलांट द्वारा मृतक हरिसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लेने के कारण यह अपील स्वतः ही अबेट हो चुकी है ।

अतः प्रार्थी रेस्पो0 बदलूराम का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सी0 पी0 सी0 स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अबेट होने के कारण खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner